अनुदान संख्या 30 – व्यय विभाग
GRANT No. 30 – DEPARTMENT OF EXPENDITURE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	454,74,00	459,01,00	371,14,77	-87,86,23
पूरक	Supplementary	4,27,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				84,76,75

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹8786.23 लाख) दिसंबर, 2021 में प्राप्त किए गए ₹427.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹8786.23 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹427.00 lakhs obtained in December, 2021 and constituted 19 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	39192.00	32288.69	31995.53	-293.16
पु.	R.	-6903.31			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	6282.00	5135.56	5119.24	-16.32
पू.	S.	427.00			
पु.	R.	-1573.44			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष ''2052'' – ''सचिवालय – व्यय विभाग'' – के अंतर्गत ₹7196.47 लाख की बचत (₹39192.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम छुट्टी यात्रा रियायत दावे प्राप्त होने, रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, पीएफएमएस (मु.) तथा राज्य निदेशालयों के लिए कार्यालय स्थल को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, कम नवीकरण कार्य होने, डीएमआरसी, शास्त्री पार्क में स्थल किराए पर नहीं लिए जाने, किराए संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने और आईटी मदों/कार्यालय उपकरणों की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Department of Expenditure" - saving of ₹7196.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39192.00 lakhs) was due to less receipt of leave travel concession claims, non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-finalization of office accommodation for PFMS(HQ) and State Directorates, less renovation work, non-hiring of space at DMRC, Shastri Park, non-finalization of hiring proposals, conduction of less training programmes and non-procurement of IT items/office equipment.

(III) मुख्य शीर्ष "2070"– प्रशिक्षण – विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों के अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण" के अंतर्गत – ₹931.90 लाख की बचत (₹1709.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण प्रतिभागियों की कम संख्या की वजह से हुई।

(III) Under Major Head "2070" – "Training – Training in Financial Management to Officers from Special Category States" - saving of ₹931.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1709.00 lakhs)was due to less number of participants owing to COVID-19 pandemic.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹656.86 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत तथा 38 प्रतिशत थीं।

(IV) Under two heads savings of ₹656.86 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 11 percent and 38 percent of the sanctioned provision.